

प्रकरण संख्या 54/2020 वाद  
मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा  
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)  
उनवान

1. गोरधन पिता बख्तावर जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. शांतिलाल पिता बख्तावर जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-वादीगण

बनाम

1. कमलेश पिता जगदीश जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. दिलखुश पिता जगदीश जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरजुबाई बेवा जगदीश जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
4. रमेश पिता कनीराम जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
5. सत्यनारायण पिता कनीराम जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
6. जीतमल पिता कनीराम जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
7. टांकु पिता कनीराम जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
8. गीता पिता कनीराम जी कुलमी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री शम्भूलाल तेली - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :-05.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री शम्भूलाल तेली वादीगण अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित, पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुवम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा केली पटवार इल्फा केली तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 140 की आराजी नंबर 998 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1047 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1048 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1049 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1054 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1055 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1056 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल कित्ता 7 कुल रकबा 2.5200 हैक्टेयर भूमि का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 15.05.2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 04.07.2024 को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -



श्री गोरधन पिता बख्तावर कुलमी सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
1047	0.22
1055	0.26
1056	0.09

कुल कित्ता-3 0.57

सहायक कलक्टर

2 श्री शांतिलाल पिता बख्तावर कुलमी सा. देह खातेदार

आराजी न. रकबा (हेक्टयेर)

998	0.17
1055	0.11
1054	0.15
1047	0.22

किता-4 0.65

3 श्री कमलेश, दिलखुश पिता जगदीश सरसुबाई पत्नी जगदीश 1/6, रमेश सत्यनारायण जीतमल, टांकु, गीता पिता कनीराम 5/6 कुलमी सा.देह खातेदार

आराजी न. रकबा (हेक्टयेर)

998	0.16
1047	0.33
1048	0.14
1049	0.32
1054	0.27

किता-5 1.22

4 श्री गोरधन, शांतिलाल पिता बख्तावर 1/2, कमलेश, दिलखुश पिता जगदीश, सरसुबाई पत्नी जगदीश 1/12, रमेश, सत्यनारायण जीतमल, टांकु, गीता पिता कनीराम 5/12 कुलमी 5/12 सा.देह खातेदार

आराजी न. रकबा (हेक्टयेर)


1047	0.03
1049	0.02
1054	0.02
1055	0.01

किता-4 0.08



अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ..... मुबलिक ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करे  
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.08.2024 को जारी की गई।  
मुहर

  
दस्तखत  
ओहदा  
महायुक्त कलेक्टर  
निम्बाहेडा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		

महनताना वकील	...			महनताना वकील		
.....				.....		
खर्चा गवाहान.	...			खर्चा गवाहान		
.....		0	0	.....	0	0
फीस कमिश्नर.	..			फीस कमिश्नर		
.....				.....		
बाबत इजराय हुक्मनामा .				बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				.....		
मुतफरिक	.			मुतफरिक		
.....				.....		
मीजान ....				मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

